कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 523 / 12–10(12–1) पुरोलाः दिनांक 2/11/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि,
पुरोला, उत्तरकाशी।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394 / 2013 के अन्तर्गत जपनद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42.00 मीटर स्पान को लौह मोटर सेतु का निर्माण हेतु वांछित 0.224 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन का प्रस्ताव। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/9741/2015)

सन्दर्भः– निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय का पत्रांक – 2088 / 12–1 दिनांक – 28.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से आपको (ऑनलाईन) प्रेषित की जा रहा है कि पत्र में दिये गये आपत्तियों **(बिन्दु सं0 7 एवं 8)** का निराकरण कर इस कार्यालय को ऑनलाईन वापस करने की कृपा करें ताकि प्रकरण पर कार्यावाही की जा सके।

संलग्न–पत्र की छायाप्रति

भवदीय

उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@g...
RAJAJI
कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 2088 /12 / देहरादून, दिनांक 28-10- , 2020

सेवा में

उप निदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार / राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला(उत्तरकाशी)।

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –394 / 2013 के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42.00 मीटर स्पान के लौह मोटर सेतु के निर्माण हेतु वांछित 0.224 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/9741/2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)देहरादून की फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 69 / 2020 / एफ0सी0 / 803 दिनांक 31–07–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित 16 बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाऐं / संगत अभिलेख प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, के अनुपालन में आपके द्वारा अपने ई0डी0एस0 पत्र सं0 449 / 12–1 पुरोला, दिनांक 22–10–2020 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु आनलाईन प्रेषित की गयी है।

आनलाईन प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का वृत्त / निदेशक कार्यालय के स्तर से जॉच / परीक्षण किया गया तथा जॉच उपरान्त आनलाईन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। जिनके परिपूर्ण निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव वापस लौटाया जा रहा है। कृपया उक्त विषयक प्रकरण में स्पष्ट सूचनाऐं निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इस स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके:–

1. **बिन्दु सं0 5** – प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु वांछित 0.224है0 के बदले / प्रस्तावित स्थल पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की योजना वर्तमान निर्धारित दर रू0 1331 / – प्रति पौध के आधार पर तैयार कर आनलाईन–Part-II में यथास्थान आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेज / योजना की मूल प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये।

2. **बिन्दु सं0 7** – आपके द्वारा अपने उक्त ई0डी0एस0 पत्र से अवगत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है। जबकि आनलाईन Part-I के पैरा D(i) में अभी भी Justification के स्थान पर अन्य प्रपत्र (Authority Letter) अपलोड है। कृपया आनलाईन Part-I के पैरा D(i) में संगत दस्तावेज / Justification को उप निदेशक के समुहर हस्ताक्षर के अपलोड किया जाय।

3. **बिन्दु सं0 8** – उक्त ई0डी0एस0 पत्र उल्लेख है कि आपत्ति का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है। जबकि आनलाईन Part-I के पैरा में अभी भी Google earth picture में Alternative examined does not show any alternative to the on proposed. कृपया Google earth picture (kml file) में Alternative examined को प्रदर्शित करते हुए आनलाईन Part-I के पैरा D(i) में यथास्थान अपलोड किया जाय।

4. **बिन्दु सं0 12** – आपके स्तर से ई0डी0एस0 आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया आनलाईन Part-II के पैरा 15 में अपलोड DFO की SIR में उक्त परियोजना के निर्माण वांछित वन भूमि को PF दर्ज है। कृपया DFO की SIR में वांछित वन भूमि को लैण्ड शेड्यू के अनुसार संशोधित किया जाय।

5. **बिन्दु सं0 13** – आनलाईन Part-II के पैरा ... में अपलोड परियोजना की Topo sheet लैण्ड शैड्यूल एंव अन्य प्रमाण–पत्रों के अनुसार प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु चयनित संरक्षि वन भूमि है। Status of wildlife clearance में No दर्ज किया गया है। जवकि उ परियोजना हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की अनुमति प्राप्त है। कृपया आनला Part-II के पैरा ... राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की अनुमति को यथास्थान अपल /Yes किया जाय।

इसके अतिरिक्त (i) आनलाईन Part-II के पैरा 3 में District wise area to diverted in t Division Nil दर्ज है। कृपया आनलाईन Part-II के पैरा 3 में Distr wise area to diverted in the Div. में वांछित सूचना अपलोड की जाय

(ii) आनलाईन Part-II के Additional information Details में अपल दस्तावेज Part 7 नहीं अपितु प्रपत्र–7 है। कृपया यथा संशोधन कि जाय।

संलग्नकः– आनलाईन पार्ट–II ,एंव SIR।

भवदीय,

निदेशक/वन संरक्ष
राजाजी टाइगर रिज
देहरादून।